ए.

वरिंदर कुमार

वी.

हिमाचल प्रदेश राज्य (2010 की आपराधिक अपील Nos.2450-2451) 11 फरवरी, 2019

बी.

[रंजन गोगोई**,** सीजेआई**,** नवीन सिन्हा और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 20 (ii) (सी)-अपीलार्थी को उसके स्कूटर पर दो गन्नी बैग के साथ पकड़ा गया था जिसमें 'चरस' की अलग-अलग मात्रा थी-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को एस का पालन न करने के आधार पर बरी कर दिया। 100(4) Cr.P.C. और ss.50, 52 और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57, और यह कि जब्ती के समय तैयार की गई मुहर अदालत में पेश नहीं की गई थी-उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने और दोषी ठहराए गए अपीलार्थी यू/एस को उलट दिया।20((ग) एन. डी. पी. एस. अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःनिचली अदालत का निष्कर्ष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विकृत था कि दो नमूना मुहर छापों को प्रदर्शित पी. एच. और पी. के. के रूप में चिह्नित किया गया था-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है क्योंकि वसूली अपीलार्थी के व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि स्कूटर पर ले जाए गए बोरे थे-यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि पी. डब्ल्यू.-5 और अन्य स्वतंत्र गवाह सम्मानित व्यक्ति नहीं थे-एस. का कोई उल्लंघन नहीं था।100(4) Cr.P.C.-किसी भी मामले में, उस खाते पर कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं किया गया था-इसके अलावा,एन. डी. पी. एस. की धारा 52 और 57 प्रकृति में निर्देशिका हैं, जो अपीलार्थी के लिए कोई उपयोगी नहीं हैं-इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

सी.

डी.

ई.

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम -एस. 20 (ii) (सी)-के तहत दोषसिद्धिार्थी ने तर्क दिया कि पीडब्लू-10-उप-निरीक्षक, स्वयं सूचना देने वाला होने के नाते, जांच अधिकारी भी था, और जो अकेले दोषसिद्धि को दूषित करता है और मोहन लाल बनाम

पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3853) पर भरोसा रखता है-अभिनिर्धारित किया गयाःयदि मोहन लाल मामले के तथ्य अभियोजन पक्ष के संबंध में बता रहे थे, तो वर्तमान मामले के तथ्य अभियुक्त के संबंध में समान रूप से बता रहे हैं-अपीलार्थी के पास पिछली दोषसिद्धि का इतिहास है-आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के एक उचित प्रशासन के लिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, ताकि मोहन लाल मामले में निर्धारित कानून को उससे पहले अभियोजन में बरी करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति न दी जाए, चाहे अन्य सभी विचार हों-इसलिए, सभी लंबित हैं।

एफ.

जी.

एच.

707 ए.

708 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

मोहन लाल में निर्धारित कानून से पहले आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1. 25** ग्राम के दो नमूने।प्रत्येक को दो गन्नी बैग से लिया गया और 'एस' मुहर से सील कर दिया गया**,** और पीडब्लू**-5** को दिया गया।पीडब्लू**-2-**हेड कांस्टेबल ने इसे 'पी' मुहर के साथ फिर से सील कर दिया।इसलिए परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मुहर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी**,** दो नमूना मुहर छापों को प्रदर्शनी पी**.** एच**.** और पी**.** के**.** के रूप में चिह्नित किए जाने के कारण विकृत है। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि मुहरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ की गई थी।**[**पैरा **6] [711-**एच**; 712-**ए-बी**]**

बी.

सी.

2. एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की धारा **50** का स्पष्ट रूप से कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि वसूली अपीलार्थी के व्यक्ति से नहीं बल्कि स्कूटर पर ले जाए गए बोरे से हुई थी। पीडब्लू**-5** स्वतंत्र गवाह**,** जिसने तलाशी और जब्ती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे**,** लेकिन शत्रुतापूर्ण हो गया था**,** का साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **145** के तहत धारा **161 Cr.P.C** के तहत उनके पहले के बयानों के साथ विधिवत सामना किया गया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था।ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्र से पता चलता है

कि स्वतंत्र गवाह उस तारीख को गवाही देने के लिए मौजूद था**,** लेकिन बचाव पक्ष की आपत्ति पर बाध्य था कि उससे अन्य गवाहों के साथ किसी अन्य तारीख को पूछताछ की जाए।इसलिए यह निष्कर्ष निकालना बहुत उचित है कि गवाह बाद में पेश नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कि वह अपीलार्थी द्वारा जीता गया हो।यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी गुप्त उद्देश्य से रोका या दबाया गया था।हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि पीडब्लू**-5** और अन्य स्वतंत्र गवाह सम्मानित व्यक्ति नहीं थे।बहुत कम समय में हुई घटनाओं को देखते हुए धारा **100 (4) Cr.P.C** का कोई उल्लंघन करना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में**,** उस कारण से कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं किया गया है।एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम की धारा **52** और **57** प्रकृति में निर्देशिका होने के कारण अपीलार्थी का कोई लाभ नहीं है। **[**पैरा **7] [712-**सी**-**ई**-]4.** विचार के लिए एकमात्र मुद्दा अभियोजन पक्ष के दूषित होने के संबंध में बचा हुआ है क्योंकि मोहन लाल मामले को देखते हुए पीडब्लू**-10** सूचना देने वाला और जांच अधिकारी भी था।**[**पैरा **9] [712-**जी**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

709

वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

3. कानून की व्याख्या करना सर्वोपरि विचार है ताकि यह निष्पक्ष रूप से काम करे**,** उस मामले के तथ्यों ने यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई कि सभी अपवादों को क्या बनाया जाना चाहिए और उनके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए।अपवादों में से नक्काशी पर विचार करने की आवश्यकता पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था।**[**पैरा **11] [713-**एफ**]**

बी.

4. अभियुक्तों के व्यक्तिगत अधिकार निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं।लेकिन अपराधी को कानून के दायरे में लाने और समाज में सभी को सही संदेश देने के लिए सामाजिक हित भी उतना ही महत्वपूर्ण है**-**चाहे वह कानून का पालन करने वाला नागरिक हो या संभावित अपराधी।**'**मानवाधिकार **'**न केवल अभियुक्त के हैं**,** बल्कि कुछ हद तक पीड़ित के भी हैं**,**

संभावित पीड़ित के रूप में समाज के प्रतीकात्मक सदस्य और समग्र रूप से समाज।**[**पैरा **12] [713-**जी**]**

सी.

5. इसलिए सामाजिक हित यह आदेश देता है कि मोहन लाल मामले में निर्धारित कानून को किसी आरोपी द्वारा बरी किए जाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है**,** चाहे अनुसंधान और अभियोजन के अनुसार अन्य सभी विचार हों**,** जब उस संबंध में कानून अस्पष्ट था।आपराधिक न्यायशास्त्र अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने का आदेश देता है।यदि मोहन लाल मामले के तथ्य अभियोजन पक्ष के संबंध में बता रहे थे**,** तो वर्तमान मामले के तथ्य अभियुक्त के संबंध में समान रूप से बता रहे हैं। अपीलार्थी के पूर्व दोषसिद्धि का भी इतिहास है।यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि जबकि कानून अस्पष्ट था**,** आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए हैं**,** मुकदमे चल रहे हैं या समाप्त हो गए हैं**,** और लंबित अपीलें जो सभी अनिवार्य रूप से प्रभावित होंगी।**[**पैरा **15] [714-**ई**,** एफ**]**

डी.

ई.

एफ.

6. आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को केवल अपराधी के लाभ के लिए परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है**,** जिससे यह एक दिशात्मक अभ्यास बन जाए।आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के एक उचित प्रशासन के लिए**,** इसलिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है**,** ताकि मोहन लाल मामले में निर्धारित कानून को अन्य सभी विचारों के बावजूद**,** उससे पहले के अभियोजनों में बरी होने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति न दी जाए।इसलिए मोहन लाल मामले में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन**,** मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।**[**पैरा **18] [716-**सी**-**डी**]**

जी.

एच.

सोनू उर्फ अमर बनाम हरियाणा राज्य **(2017) 8** एस**.** सी**.** सी**. 570:[2017] 8** एससीआर **151;** हर्ष ढींगरा बनाम राज्य

हरियाणा और अन्य (2001) 9 एस. सी. सी. 550:[2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 446-निर्भर।

मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर **2018** एससी **3853 -**

संदर्भित किया गया।

बी.

मामला कानून संदर्भ

आकाशवाणी **2018** एससी **3853**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2017] 8 एससीआर **151**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16**

[2001] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 446** पर निर्भर

पैरा **17**

सी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2010 की आपराधिक अपील संख्या 2450-2451

1996 की आपराधिक अपील संख्या 427 में हिमाचल प्रदेश, शिमला के उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.06.2010 और 22.07.2010 के निर्णय और आदेश से

डी.

ध्रुव पाल, अजय मारवाह, मूल सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अभिनव मुखर्जी, ए. ए. जी., सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

नवीन सिन्हा**,** जे।

1. अपीलार्थी अपने बरी किए जाने के आदेश को पलटते हुए और उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद "एन. डी. पी. एस. अधिनियम" के रूप में

संदर्भित) की धारा 20 (ii) (सी) के तहत दोषी ठहराते हुए, उसे 20 साल की सजा के साथ-साथ 2 लाख रुपये के जुर्माने के साथ, एक डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ दोषी ठहराता है।

एफ.

2. कहा जाता है कि अपीलार्थी को अलग-अलग मात्रा के साथ दो बोरे में अपने स्कूटर पर "चरस" लिए हुए 31.03.1995 पर पकड़ा गया था।ट्रायल कोर्ट ने स्वतंत्र गवाहों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (4) का पालन न करने के आधार पर अपीलार्थी को बरी कर दिया।इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50,52 और 57 का पालन नहीं किया गया था, और जब्ती के समय तैयार की गई और पीडब्लू-5 को सौंपी गई मुहर, नरेश कुमार को अदालत में पेश नहीं किया गया था।

जी.

एच.

711

वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

ए.

3. उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए कहा कि जब्ती के समय और मलखाना में जमा करने के समय भी तैयार की गई मुहरों को पेश किया गया था और उन्हें प्रदर्शनी पी. एच. और पी. के. के रूप में चिह्नित किया गया था। रासायनिक परीक्षकों की रिपोर्ट ने जब्त सामग्री की "चरस" के रूप में पुष्टि की।बारूद के थैलों से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं था।केवल इसलिए कि दो स्वतंत्र गवाह एक ही इलाके के नहीं थे, वास्तव में धारा 100 (4), Cr.P.C का उल्लंघन नहीं होगा।

बी.

4. अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव पाल ने कहा कि अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया था क्योंकि उसने अपने पिता की मृत्यु से संबंधित मामले में अनुचित अनुसंधान के लिए सी. आई. डी. के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।पीडब्लू-5, स्वतंत्र गवाह नरेश कुमार मुकर गए थे और उन्होंने तलाशी और जब्ती के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।दूसरे स्वतंत्र गवाह जीवन कुमार को अभियोजन पक्ष ने बिना किसी स्पष्टीकरण के रोक लिया था।मामले के तथ्यों में, उसी इलाके से स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है जैसा कि धारा 100 (4) Cr.P.C द्वारा आवश्यक है।पीडब्लू-10 उप-निरीक्षक प्रेम सिंह, स्वयं सूचना देने वाले होने के नाते, जांच अधिकारी भी थे, और जो अकेले अन्य सभी मुद्दों के बावजूद दोषसिद्धि को दूषित करता है।एक हालिया निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी

सी.

डी.

मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3853 में यह न्यायालय।

5. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मुखर्जी ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और इसे हस्तक्षेप के योग्य नहीं माना जाता है।अपीलार्थी का एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दोषसिद्धि का पिछला इतिहास रहा है। यह आधार कि पीडब्लू-10 सूचना देने वाला होने के नाते जांच अधिकारी भी नहीं हो सकता था, किसी भी स्तर पर नहीं उठाया गया था।इसलिए दोषसिद्धि के आदेश का परीक्षण उस आधार पर नहीं किया जा सकता है जिस पर उच्च न्यायालय के पास अपना दिमाग लगाने का कोई अवसर नहीं था।अपील में भी इसका अनुरोध नहीं किया गया है।

ई.

एफ.

6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।कहा जाता है कि पीडब्लू-10 को 31.03.1995 पर दोपहर 2.45 बजे गुप्त जानकारी मिली थी।उन्होंने तुरंत इसे लिखित रूप में कम कर दिया और इसे पीडब्लू-8, श्री जयपाल सिंह, Dy.S.P, सी. आई. डी., शिमला को भेज दिया।05 पी. एम. पीडब्लू-7 पर, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने पीडब्लू-5, नरेश कुमार और एक अन्य स्वतंत्र गवाह, जीवन कुमार को एक साथ यात्रा करते हुए रोक दिया, जिसके बाद अपीलार्थी को दोपहर 3:30 बजे अपने स्कूटर पर दो गन्नी बैग के साथ पकड़ा गया, जिसमें अलग-अलग मात्रा में 'चरस' थे।तब तक पहुंचने वाले पीडब्लू-8, श्री जयपाल सिंह, सी. आई. डी., शिमला ने अपीलार्थी को नोटिस दिया और तलाशी लेने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की।25 के दो नमूने

जी.

एच.

जीएमएस।प्रत्येक को दो गन्नी बैग से लिया गया और 'एस' मुहर से सील कर दिया गया, और पीडब्लू-5 को दिया गया।पीडब्लू-2, मलखाना के हेड कांस्टेबल जसविंदर सिंह ने इसे 'पी' मुहर से सील कर दिया।इसलिए परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मुहर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी, दो नमूना मुहर छापों को प्रदर्शनी पी. एच. और पी. के. के रूप में चिह्नित किए जाने के कारण विकृत है। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि मुहरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ की गई थी।

बी.

7. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का स्पष्ट रूप से कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि वसूली अपीलार्थी के व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि स्कूटर पर ले जाए गए बोरे थे।पीडब्लू-5 स्वतंत्र गवाह जिसने तलाशी और जब्ती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन शत्रुतापूर्ण हो गया था, उसका साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के तहत धारा 161 Cr.P.C के तहत उसके पहले के बयानों के साथ विधिवत सामना किया गया था और उसने अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था।निचली अदालत के दिनांक 1 के आदेश पत्र से पता चलता है कि स्वतंत्र गवाह जीवन कुमार गवाही देने के लिए उस तारीख को मौजूद थे, लेकिन बचाव पक्ष की आपत्ति पर बाध्य थे कि उनसे अन्य गवाहों के साथ किसी अन्य तारीख को पूछताछ की जाए।इसलिए यह निष्कर्ष निकालना बहुत उचित है कि गवाह बाद में पेश नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कि वह अपीलार्थी द्वारा जीता गया हो।यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी गुप्त उद्देश्य से रोका या दबाया गया था।हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि पीडब्लू-5 और अन्य स्वतंत्र गवाह जीवन कुमार सम्मानित व्यक्ति नहीं थे।बहुत कम समय में हुई घटनाओं को देखते हुए धारा 100 (4) Cr.P.C का कोई उल्लंघन करना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में, उस कारण से कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं किया गया है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 और 57 प्रकृति में निर्देशिका होने के कारण अपीलार्थी का कोई लाभ नहीं है।

सी.

डी.

ई.

8. अपीलार्थी ने गलत निहितार्थ की धारा 313 के तहत बचाव किया, लेकिन सी. आई. डी. विभाग के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा, इस तथ्य पर ट्रायल कोर्ट ने खुद ध्यान दिया।इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष से अलग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

एफ.

9. विचार के लिए एकमात्र मुद्दा अभियोजन पक्ष के दूषित होने के संबंध में बचा हुआ है क्योंकि मोहन लाल (उपरोक्त) की दृष्टि से पीडब्लू-10 सूचना देने वाला और जांच अधिकारी भी था।स्पष्ट रूप से किसी भी प्रारंभिक चरण में मैदान नहीं उठाया गया था, अभियोजन पक्ष को कभी भी इसे लड़ने का मौका नहीं मिला।अपील में इसका अनुरोध भी नहीं किया गया है। फिर भी रखी गई निर्भरता को देखते हुए, हम इस मुद्दे की जांच करेंगे।

जी.

एच.

713

वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

ए.

10. मोहन लाल (उपरोक्त) में हमारा ध्यान इस मुद्दे पर अलग-अलग विचारों की ओर आकर्षित किया गया था कि सूचना देने वाला और जांच अधिकारी आपराधिक अभियोजन में एक ही व्यक्ति हैं और उसी के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष निकाले गए हैं।जहाँ तक अभियोजन पक्ष की ओर से चूक का संबंध था, मोहन लाल (उपरोक्त) के तथ्य वास्तव में बेहद स्पष्ट थे।उस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस मुद्दे को किसी मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर निहित है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:"25. इस न्यायालय की दो अलग-अलग न्यायाधीश पीठों द्वारा व्यक्त परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार के रूप में एक अभियुक्त के दृष्टिकोण से निष्पक्ष अनुसंधान के महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक माना जाता है कि इस संबंध में कानून निश्चितता के साथ निर्धारित किया जाए।किसी मामले के व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्धारित होने के लिए मामले को छोड़ने से न केवल शक्तियों का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुलिस, आरोपी, वकील और अदालतों को अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में छोड़ देगा जिससे बचा जाना चाहिए।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक निष्पक्ष अनुसंधान , जो कि निष्पक्ष विचारण का आधार है, आवश्यक रूप से यह अभिनिर्धारित करती है कि सूचना देने वाला और अन्वेषक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए।न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। पक्षपात या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की किसी भी संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए।सबूत के विपरीत बोझ वाले कानूनों में यह आवश्यकता और भी अधिक अनिवार्य है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

11. कानून की व्याख्या करना सर्वोपरि विचार है ताकि यह निष्पक्ष रूप से काम करे, उस मामले के तथ्यों ने यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई कि सभी अपवादों को क्या बनाया जाना चाहिए और उनके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए।अपवादों में से

नक्काशी पर विचार करने की आवश्यकता पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था।

एफ.

12. अभियुक्तों के व्यक्तिगत अधिकार निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं।लेकिन अपराधी को कानून के दायरे में लाने और समाज में सभी को सही संदेश देने के लिए सामाजिक हित भी उतना ही महत्वपूर्ण है-चाहे वह कानून का पालन करने वाला नागरिक हो या संभावित अपराधी।'मानवाधिकार 'न केवल अभियुक्त के हैं, बल्कि कुछ हद तक पीड़ित के भी हैं, संभावित पीड़ित के रूप में समाज के प्रतीकात्मक सदस्य और समग्र रूप से समाज।

जी.

एच.

13. कानून को समाज में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पूरा करना होता है।कानून गतिशील होने के कारण, कानून की निश्चितता कभी-कभी कठोर दिखाई देती है जब भी कोई परिस्थिति (तथ्यों का समूह) प्रकट होती है जिसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है।समीचीनता तब यह निर्धारित करती है कि उच्च न्यायपालिका, कानून की व्याख्या करते समय, ऐसे अपवादों पर विचार करती है जो विधायिका के सार और मूल इरादे को बाधित किए बिना आवश्यक हैं।यह मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक है-न्याय अंत है-और यह भी कि नए कानून की प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, जिसका अर्थ होगा न्याय की विफलता, और इसके साथ न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास और विश्वास का क्षरण।

बी.

सी.

14. निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत अब कानून के कई क्षेत्रों को सूचित और सक्रिय करता है।यह एक निरंतर, निरंतर, विकासवादी प्रक्रिया है जो लगातार खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है, और स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है-कभी-कभी विशिष्ट-और अपराध की प्रकृति से संबंधित, इसमें शामिल व्यक्ति, सीधे या पीछे से काम कर रहे हैं, और कई अन्य शक्तिशाली कारक जो आपराधिक न्याय के प्रशासन के रास्ते में आ सकते हैं, इसलिए उच्च न्यायालयों का प्रयास, कानून की व्याख्या करते समय, सही संतुलन बनाना है।

डी.

15. इसलिए सामाजिक हित यह आदेश देता है कि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को एक अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, चाहे अनुसंधान और अभियोजन के अनुसार अन्य सभी विचार हों, जब उस संबंध में कानून अस्पष्ट था।आपराधिक न्यायशास्त्र अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने का आदेश देता है।यदि मोहन लाल (उपरोक्त) के तथ्य अभियोजन पक्ष के संबंध में बता रहे थे, तो वर्तमान मामले के तथ्य अभियुक्त के संबंध में समान रूप से बता रहे हैं।अपीलार्थी के पूर्व दोषसिद्धि का भी इतिहास है।हम इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकते हैं कि जबकि कानून अस्पष्ट था, आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, मुकदमे चल रहे हैं या समाप्त हो गए हैं, और लंबित अपीलें जो सभी अनिवार्य रूप से प्रभावित होंगी।

ई.

एफ.

16. सोनू उर्फ अमर बनाम हरियाणा राज्य, (2017) 8 एससीसी

570, इसे इस प्रकार देखा गयाः“37. ..... 4.8.2005 और 18.9.2014 के बीच की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षण किए गए हैं।प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में जोड़ा जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनवर पी. वी. बनाम अनवर पीपी. के. बशीर, (2014) 10 एस. सी. सी. 473 को संचालन में पूर्वव्यापी होना चाहिए जब तक कि "संभावित ओवररुलिंग" का न्यायिक उपकरण लागू नहीं किया जाता है।

जी.

एच.

715

वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

ए.

हालाँकि, निर्णय का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग न्याय प्रशासन के हित में नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता होगी।बिना प्रमाणन के

साक्ष्य में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर तय किए गए आपराधिक मामलों को अपीलीय स्तर पर जब भी अभियुक्त द्वारा आपत्तियां ली जाती हैं, तो उन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।अंतिम हो चुके मामलों को फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा।"

बी.

17. कि बाद की घटनाओं पर ध्यान दिया गया, पहले से लिए गए कार्यों को बचाने के लिए पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, हर्ष में विचार किया गया था

ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2001) 9 एससीसी 550,

निम्नलिखित रूप में ध्यान दें:"6. इसके अलावा, जब एस. आर. दास मामले [(1999) 3 एस. सी. सी. 362] में उच्च न्यायालय के निर्णय ने लगभग एक दशक तक मैदान पर कब्जा कर लिया था और सरकार, हुडा और जिन पक्षों को आवंटन किया गया है, उन्होंने उक्त निर्णय के संदर्भ में कार्रवाई की और अपने मामलों को समायोजित किया है, तो उस स्थिति को इस आधार पर बाधित करने के लिए कि अब अनिल सभरवाल मामले [(1997) 2 पुंज एल. आर. 7] में कुछ अन्य कठोर सिद्धांतों को लागू करने के लिए घोषित किया गया है, खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को निर्धारित करना होगा, जिसके द्वारा कई पक्षों ने अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति को बदल दिया है।इसलिए, हम सोचते हैं कि व्यापक लोक हित में और उस भेदभाव से बचने के लिए जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 5.12.1997 [(1998) 8 SCC 373] के आदेश में देखा था, अनिल सभरवाल मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय एक संभावित तिथि से और इस मामले में उस तारीख से प्रभावी होना चाहिए जिस दिन 23.4.1996 पर अंतरिम आदेश पारित किया गया था।इसलिए, उस तारीख को उस तारीख के रूप में तय करना उचित होगा जिससे उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी होगा।यदि इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है, तो ऊपर उल्लिखित विभिन्न पक्षों के संबंध में विभिन्न विसंगतियों को इंगित किया जाता है और अन्य उदाहरण जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है, उन्हें दूर किया जाएगा और दरारों को चिकना किया जाएगा ताकि भेदभाव से बचा जा सके।

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. कानून की संभावित घोषणा इस न्यायालय द्वारा सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से बचने और कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए एक नया उपकरण है।यह अनिश्चितता और टालने योग्य मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपनाया गया एक उपकरण भी है।कानून की संभावित घोषणा के उद्देश्य से, यह माना जाता है कि घोषणा की तारीख से पहले कानून की

घोषणा के विपरीत की गई सभी कार्रवाइयां मान्य हैं।यह व्यापक जनहित में किया जाता है। इसलिए,

जी.

एच.

अधीनस्थ मंच जो इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को लागू करने के लिए बाध्य हैं, वे भी भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में इस तरह के आदेश को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।चूँकि यह निर्विवाद है कि एक अदालत किसी निर्णय को रद्द कर सकती है, इसलिए कोई वैध कारण नहीं है कि इसे भविष्य तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और न ही अतीत तक।संभावित अधिमूल्यांकन न केवल संवैधानिक नीति का एक हिस्सा है, बल्कि न्यायिक विधान नहीं, बल्कि टकटकी लगाने वाले निर्णय का एक विस्तारित पहलू भी है।ये सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा बाबूराम बनाम में प्रतिपादित किए गए हैं। सी. सी. जैकब, (1999)

बी.

3 एससीसी 362 और अशोक कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (1997) 5

एससीसी 201।”

18. आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को विशेष रूप से अपराधी के लाभ के लिए इसे एक-दिशात्मक अभ्यास बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के एक उचित प्रशासन के लिए, इसलिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, ताकि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को अन्य सभी विचारों के बावजूद, उससे पहले के अभियोजनों में बरी होने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुमति न दी जाए।इसलिए हम मानते हैं कि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित किए जाते रहेंगे।19. वर्तमान अपीलों में योग्यता की कमी है और इसलिए उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

एफ.

जी.

एच.